

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न सं. 2063

12 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ब्रेस्ट कैंसर के लिए आयुष औषधि

2063. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्रीमती चिंता अनुराधा:

डॉ. बीसेट्टी वकट सत्यवती:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर:

क्या आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान शोध परिषद (सीसीआरएएस) ने स्थानिक नॉन-मेटास्टिक ब्रेस्ट कैंसर, जिसका इलाज एडजुट कौमोथरेपी/रेडियोथेरेपी से किया जाता है के रोगियों में आयुष क्यू.ओ.एल.-2सी नामक कोडेड आयुर्वेदिक दवा के उपयोग का, जीवन का गुणवत्ता प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एम्स, नई दिल्ली के साथ मिलकर कोई नैदानिक शोध अध्ययन किया है और इसे मोलैक्यूलर मार्कर से जोड़कर देखा जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने इस दवा के विनिर्माण के लिए मंजूरी दी है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरन रोजीजू)

(क): जी हां।

(ख): आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में स्वायत्त निकाय केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से "ए पायलट स्टडी इवैलुएटिंग कौमोथरेपी ऑफ लाइफ एंड आयुष क्यूओएल-2सी इन पेशेंट्स ऑफ लोकल नॉन-मेटास्टिक ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट एंड एडजुट कौमोथरेपी/रेडियोथेरेपी एंड कौमोथरेपी एंड कौमोथरेपी इट एंड मोलैक्यूलर मार्कर" शीर्षक वाला संभावित डबल ब्लाइंड रडमाइज्ड प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक परीक्षण आयोजित किया है। अध्ययन में "आयुष क्यूओएल-2सी" समूह में बेहतर स्थानीय नियंत्रण और बचाव का रूख तथा औषधि सुरक्षित एवं सहने योग्य पाई गई।

(ग) और (घ): आयुर्वेदिक औषधियोग "आयुष क्यूओएल 2सी" परिषद द्वारा विकसित किया गया है और पेटेंट फाइल कर दिया गया है। पेटेंट प्राप्त होने का प्रतीक्षा है। सीसीआरएएस का वाणिज्यीकरण नीति के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए परिषद द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
